न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 06 सन 2019

अनवान :–

1. अंकित 2 नरोत्तम नाबालिग पुत्रान कालुराम जरिये संरक्षिका माता सरोज बाला पत्नि कालुराम जाति मेधवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. शिशपाल पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
2. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 27/01/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि स्थित है जो गैरसायल संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायलान व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि में गैरसायल न0 1 के जन्मजात हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 शिशपाल अकेले के नाम दर्ज होने के कारण सायलान उक्त भूमि पर किसी प्रकार की ऋण सुविधा व फसल खराबा का मुआवजा नही प्राप्त कर सकता है इसलिये सायलान न्यायालय से धोषणा करवाकर अपने हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार भूमि अपने – अपने नाम करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो सायलान की भुआ है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती हे अपना जो भी हक हिस्सा था वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता , भाईयों व भानजा , भानजी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसलिये प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है

सायलान व प्रतिवादीगण ने मुश्तरका खाता की भूमि का बाहमी बटवारा कर रखा है बंटवारा के मुताबिक उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का सयुक्त तौर से 2/15 हिस्सा , वादीगण संख्या 1 ,2 का सयुक्त तौर से 2/15 हिस्सा है इसी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है सायलान व प्रतिवादीगण का खाता व लगान मुश्तरका रहने से काश्त सीव लगान का झगडा रहता है इसलिये खाता तकसीम करवानें के अधिकारी है।

मुश्तरका खाता की भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि अजनबी लोगो को बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 के द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसयाल न0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील नही करे यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की सायलान विवादित भूमि में 2/15 हिस्सा के किसी श्रेणी के काश्तकार नही है इसलिये दावा मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है विवादित भूमि गैरसायल न0 1 की खुद की पैदा कुरदा भूमि है जिसमें सायलान एवं अन्य प्रतिवादीगण का गैरसायल न0 1 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

जीवनकाल में कोई हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र केवल परेशान करने की नियत से बार– बार पेश किया जा रहा है जब प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है तो सायलान विवादित भूमि में गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की धोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है जब कालूराम का कोई हक हिस्सा बनता ही नही तो सायलान भी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है जब सायलान का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा ही नही है तो वह खाता विभाजन वाद भूमि का करवाने के अधिकारी नही है मात्र मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि स्थित है जो गैरसायल संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायलान व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि में गैरसायल न0 1 के जन्मजात हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 शिशपाल अकेले के नाम दर्ज होने के कारण सायलान उक्त भूमि पर किसी प्रकार की ऋण सुविधा व फसल खराबा का मुआवजा नही प्राप्त कर सकता है इसलिये सायलान न्यायालय से धोषणा करवाकर अपने हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार भूमि अपने – अपने नाम करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो सायलान की भुआ है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती हे अपना जो भी हक हिस्सा था वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता , भाईयों व भानजा , भानजी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसलिये प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है

सायलान व प्रतिवादीगण ने मुश्तरका खाता की भूमि का बाहमी बटवारा कर रखा है बंटवारा के मुताबिक उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का सयुक्त तौर से 2/15 हिस्सा , वादीगण संख्या 1 ,2 का सयुक्त तौर से 2/15 हिस्सा है इसी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है सायलान व प्रतिवादीगण का खाता व लगान मुश्तरका रहने से काश्त सीव लगान का झगडा रहता है इसलिये खाता तकसीम करवानें के अधिकारी है।

मुश्तरका खाता की भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि अजनबी लोगो को बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 के द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसयाल न0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील नही करे यथास्थिति बनाई रखी जावे।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान विवादित भूमि में 2/15 हिस्सा के किसी श्रेणी के काश्तकार नही है इसलिये दावा मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज योग्य है विवादित भूमि गैरसायल न0 1 की खुद की पैदा करदा भूमि है जिसमें सायलान एवं अन्य प्रतिवादीगण का गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र केवल परेशान करने की नियत से बार– बार पेश किया जा रहा है जब प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है तो सायलान विवादित भूमि में गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार की धोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है जब कालूराम का कोई हक हिस्सा बनता ही नही तो सायलान भी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है जब सायलान का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा ही नही है तो वह खाता विभाजन वाद भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

करवाने के अधिकारी नही है मात्र मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है अर्थात सायलान गैरसायल न0 1 जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो सायलान की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया है अथवा नही है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की कुल 4.1740हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार गैरसायल न0 1 दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सायलान एवं उसका पिता कालूराम वर्तमान में किसी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में ना होकर गेरसायल न0 1 के पक्ष में पूर्णत्या साबित होता है।

सायलान के पिता कालूराम ने एक प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट का इस न्यायालय में हस्तगत भूमि के सम्बध में पेश किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को निर्णय पारित किया जाकर कालुराम का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था पुनः हस्तगत प्रार्थना पत्र कालुराम के पुत्रों के द्वारा जरिये संरक्षिका माता के प्रस्तुत किया गया है जो न्यायोचित नही है।

सायलान गैरसायल न0 1 के पौते है यदि वाद भूमि को पैतृक सम्पति मान भी लिया जावे तो भी सायलान के कथनानुसार 2/15 हिस्सा ही भूमि पाने के अधिकारी होते है सायलान अपने हक हिस्सा तक की भूमि पर ही स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी है समस्त भूमि पर स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होता है।

सायलान का कथन है कि गैरसायल न0 1 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है इसलिये पाबन्द किया जावे स्वीकार योग्य नही है गैरसायल न0 1 बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है सायलान का वाद भूमि में हक हिस्सा की धोषणा नही हुई है यदि धोषणा हो भी जाती है तो सायलान स्वय के कथनानुसार 2/15 हिस्सा भूमि ही पाने के अधिकारी है जबकि सायलान ने सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश चाहा जा रहा है जो न्यायोचित नही है किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है यदि पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को ना होकर गेरसायल न0 1 को होगी अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 18.01.2019 को रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 150/135 की 4.1740हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)